भारतीय संविधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति चुनाव—एक अवलोकन

ओ0 पी0 बी0 शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ—226001, उ0प्र0, भारत
opbshukla4@gmail.com

प्राप्त तिथि—31.07.2017, स्वीकृत तिथि—10.09.2017

सार— भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय व्यवस्था पर आधारित है।

बीज शब्द— अप्रत्यक्ष, निर्वाचक मण्डल, संसद, राज्य विधान सभाएं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।

President election in Indian constitutional arrangement-a perusal

O.P.B. Shukla
Associate Professor and Head, Department of Political Science
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
opbshukla4@gmail.com

Abstract- Article 54 of the Indian constitution is related to the election of the President of India. The President is elected indirectly by the members of an electorol college consisting of the elected members of both houses of Parliament and the elected members of the State Assemblies. The method of his election is based on proportional representation by means of single transferable vote system.

Key words- Indirect, electorol college, Parliament, State Assemblies, proportional representation, single transferable vote system.

1. **प्रस्तावना**— भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें संवैधानिक कार्यपालिका राष्ट्रपति है जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद होती है, जिसका निर्माण विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होंगी जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।[1] संविधान के अनुसार ''कोई भी नागरिक जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित अर्हताएँ पूरी करता हो, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता।''[2]

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान निर्मात्री सभा में विस्तार से विचार कराया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराये जाने का समर्थन कई कारणों से नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया कि एक संसदीय सरकार होने के कारण राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होगा और उसकी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाएगा तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा कराया जाना उपयुक्त न होगा। जैसा कि के0 संस्थानम ने कहा भी है कि जब ''राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाया गया है तो फिर उसको प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम है।''[3] दूसरी बात यह कही गयी कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा तो यह स्वाभाविक है कि इसमें दलीय राजनीति का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा जबकि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि राष्ट्रपति को सम्पूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करने के नाते दलगत राजनीति से ऊपर रहकर कार्य करना चाहिए। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति का पद अत्यधिक महत्व तथा गरिमा का पद है और उसका चुनाव साधारण जनता, जिसका अधिकांश भाग अशिक्षित है, के हाथों में देना उचित न होगा। राष्ट्रपति का चुनाव ''1952 के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम'' के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। इस अधिनियम में सन् 1997 में किये गये संशोधन के आधार पर अब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचकमण्डल के 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदन चाहिए तथा 15000/— की प्रतिभूति जमा करनी होगी और यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट मिलता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

2. **राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ओर संघ राज्य दिल्ली एवं पॉण्डिचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।[4] राष्ट्रपति के चुनाव में जिस पद्धति का प्रयोग किया गया है उसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति'।[5] इस पद्धति को अपनाकर राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त रूप से होता है। निर्वाचक मण्डल में सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया जाता है।

1. विभिन्न राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधान सभाओं का प्रत्येक सदस्य मत तो एक ही देता है किन्तु गणना के लिए उसके मत का मूल्य एक से अधिक होता है। मत का मूल्य एक विशेष प्रणाली के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या से उस राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाएगा और जो भागफल होगा, उसे पुनः 1000 से विभाजित किया जाएगा। ऐसा करने से जो भागफल आयेगा वह प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य होगा।

$$\text{राज्य विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \times 1000$$

उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार सभी छोटे—बड़े राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
2. संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निर्धारित करने की दूसरी विधि है जिसके अनुसार समस्त राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करने से जो भागफल शेष आयेगा, वही संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य होगा

$$\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य} = \frac{\text{समस्त राज्य विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$$

संविधान बनाने वालों का यह भी उद्देश्य था कि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाए जिससे इस पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो जिसने कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किए हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता को सभी उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी पसन्द को (1, 2, 3, 4) व्यक्त करना होता है। एक उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए मतों की न्यूनतम संख्या(कोटा) निर्धारित कर दी जाती है जिसका तरीका यह है कि कुल पड़े हुए मतों की संख्या को दो से विभाजित किया जाता है और जो भागफल आता है उसमें एक और जोड़ दिया जाता है।

$$\text{कोटा} = \frac{\text{कुल मत}}{2} + 1$$

मतों की पहली गिनती में यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटे के बराबर मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी माना जाता है अन्यथा सभी उम्मीदवारों में से जिसने प्रथम पसन्द के सबसे कम मत प्राप्त किए हैं, उसे मतगणना से अलग कर दिया जाता है और उसको मिले हुए मत पत्रों में द्वितीय पसन्द जिन—जिन उम्मीदवारों को जितनी संख्या में अंकित की गयी है, उतने मत उनमें प्रथम पसन्द की मतों की सख्या के साथ जोड़ दिए जाते हैं। यदि इस तरह कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटे तक पहुँच जाता है तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा इन उम्मीदवारों में जिसे सबसे कम मत मिले हैं, उसे मत गणना से हटाकर उसके मत पत्रों में अंकित दूसरी पसन्द को शेष विभिन्न उम्मीदवारों में विभाजित कर दिया जाता है। मतों का इस प्रकार हस्तान्तरण उस समय तक चलता रहता है, जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटे के बराबर मत न प्राप्त कर ले। इस निर्वाचन प्रणाली को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व अवश्य करता है।

3. **राष्ट्रपति के चुनाव**— सन् 1952 से सन् 2017 तक भारत में राष्ट्रपति पद के लिए पन्द्रह बार चुनाव हुए, लेकिन सत्य यह है कि सन् 1969 के चुनाव के अतिरिक्त अन्य सभी चुनाव मात्र औपचारिकता थे। अपवाद स्वरूप वर्ष 1977 में जनता पार्टी द्वारा निर्विरोध और सन् 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते, इसके अलावा सभी चुनावों में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में कांग्रेस दल का पूर्ण बहुमत होने के कारण राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचक मण्डल में सदैव कांग्रेस दल का पूर्ण बहुमत रहा। इसलिए विपक्ष के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास के बाद, सैद्धान्तिक रूप से इस बात की संभावना नहीं थी कि विपक्ष का प्रत्याशी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकेगा। यह एक सर्वविदित तथ्य था कि सत्ताधारी दल का ही उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद का पहला चुनाव अन्तरिम राष्ट्रपति के रूप में हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा का अन्तिम कार्य एक अन्तरिम राष्ट्रपति का चुनाव करना था। 24 जनवरी, 1950 को इस सभा द्वारा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जबकि जवाहरलाल नेहरू,

सी0 गोपालाचारी को अन्तरिम राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। सन् 1952 से अबतक हुए राष्ट्रपति चुनाव की सूची तालिका–1 में दी गयी है–

तालिका–1: राष्ट्रपति का निर्वाचन– सन् 1952 से सन् 2017

क्र0सं0	चुनाव वर्ष	विजयी प्रत्याशी	प्राप्त मत एवं प्रतिशत	पराजित प्रत्याशी	प्राप्त मत एवं प्रतिशत
1.	1952	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद	507400 (83.81)	के.टी. शाह	92827 (15.3)
2.	1957	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद	459698(99.35)	एन.एन. दास	2000(0.4)
3.	1962	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन	553067 (98.24)	चौ0 हरीराम	6341 (1.1)
4.	1967	डॉ0 जाकिर हुसैन	471244 (56.23)	के. सुब्बाराव	363971 (43.4)
5.	1969	वी.वी.गिरि	420077 (50.22)	एन. संजीव रेड्डी	405427(48.5)
6.	1974	फखरुद्दीन अलीअहमद	756587 (80.18)	त्रिदेव चौधरी	189186 (19.3)
7.	1977	एन. संजीव रेड्डी	निर्विरोध	–	–
8.	1982	ज्ञानी जैल सिंह	754113 (72.73)	एच0आर0 खन्ना	282685 (27.6)
9.	1987	आर. वेंकटरमन	740148 (72.29)	वी0 कृष्णा अय्यर	281559 (27.1)
10.	1992	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	675564 (65.86)	जार्ज स्वेल	346485 (33.21)
11.	1997	के. आर. नारायणन	956290 (94.97)	टी.एच.शेषन	50451 (5.07)
12.	2002	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	922844 (89.58)	लक्ष्मी सहगल	107366 (10.42)
13.	2007	प्रतिभा पाटिल	638116 (65.82)	भैरों सिंह शेखावत	331906 (34.17)
14.	2012	प्रणव मुखर्जी	713763 (69.31)	पी.ए. संगमा	315987 (30.69)
15.	2017	रामनाथ कोविंद	702044 (65.65)	मीरा कुमार	367314 (34.35)

सन् 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद संविधानिक उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से प्रो0 के0 टी0 शाह को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की ओर से डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद उम्मीदवार थे। चूंकि संसद और अधिकांश राज्य विधान–सभाओं में कांग्रेस दल बहुमत में था, इसलिए डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद भारी बहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन् 1957 के आम चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति पद का चुनाव आया तो हिन्दू कोड बिल तथा कुछ अन्य विषयों पर मतभेद के कारण प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे[6] लेकिन अन्त में कांग्रेस दल ने डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद का पक्ष लिया और वे दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

सन् 1962 में राष्ट्रपति पद के लिए तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉ0 राधा कृष्णन का चयन हुआ और वे विजयी हुए। सन् 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी धक्का पहुँचा। लोकसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या काफी घट गयी और आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। लेकिन निर्वाचक मण्डल में कांग्रेस दल को अब भी बहुमत प्राप्त था। कांग्रेस दल की ओर से डॉ0 जाकिर हुसैन को प्रत्याशी घोषित किया गया। विपक्षी दलों ने न्यायमूर्ति के0 सुब्बाराव को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में डॉ0 जाकिर हुसैन केवल 12.8 प्रतिशत मतों के अन्तर से जीते। सन् 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस दल आन्तरिक रूप से विभाजित था एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री इन्दिरागाँधी कर रहीं थी और दूसरे धड़े का कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद के लिए श्री जगजीवन राम का नाम प्रस्तावित किया जबकि कांग्रेस कार्यसमिति ने नीलम संजीव रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया और वही कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुए। इन्दिरा गाँधी इस बात से सशंकित थी कि कही वरिष्ठ कांग्रेसी उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा न दें इसलिए उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति वी0 वी0 गिरि को अन्दर से समर्थन देकर चुनाव लड़वा दिया। प्रधानमन्त्री ने यह मांग की कि निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को अपने अंतःकरण के अुनसार मत देने की छूट दी जाए। कुछ विपक्षी दलों ने डा0 चिन्तामणि देशमुख को खड़ा कर दिया और कुछ ने वी0 वी 0गिरि को समर्थन दिया। चुनाव में सत्ताधारी दल का अधिकृत प्रत्याशी हार गया और प्रधानमंत्री के समर्थित प्रत्याशी श्री वी0 वी0 गिरि राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये।

सन् 1974 के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद को चुनाव लड़ाया, विपक्षी दलों ने त्रिदेव चौधरी को लड़ाया जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद विजयी घोषित हुए। सन् 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद के आकस्मिक निधन होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस समय केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी। सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रपति पद को दलीय मान्यताओं से ऊपर रखना चाहती थी और चाहती थी कि राष्ट्रपति सर्वसम्मति से निर्वाचित हो। निर्वाचक मण्डल में जनतापार्टी का बहुमत होने के कारण वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी पहली बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गये। सन् 1982 में विपक्षी पार्टियों द्वारा 1977 की परंपरा को आगे बढ़ाने की पेशकश की गयी लेकिन प्रधानमत्री इन्दिरा गाँधी ने श्री ज्ञानी जैल सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया जो उस समय मंत्रिमण्डल में गृह मंत्री थे। विपक्ष ने हंसराज खन्ना को प्रत्याशी बनाया जो चुनाव हार गये। सन् 1987 के राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर विपक्ष के द्वारा फिर से सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाने की मांग की गयी लेकिन निर्वाचक मण्डल में बहुमत होने के कारण कांग्रेस ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और आर. वेंकटरमन को अपना प्रत्याशी घोषित किया। विपक्ष ने वी0 आर0 कृष्णा अय्यर को प्रत्याशी बनाया। आर0 वेंकट रमन चुनाव जीते।

10वें राष्ट्रपति का चुनाव सन् 1992 में हुआ जनता दल ने जी. जी. सोवेल को और कांग्रेस ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा को अपना उम्मीदववार बनाया। इस चुनाव में राम जेठमलानी और काका जोगिन्दर सिंह भी चुनाव लड़े। जिसमें डॉ0 शंकर दयाल शर्मा 64.78 प्रतिशत मत प्राप्त कर विजयी घोषित हुए। भारत के 11वें राष्ट्रपति का चुनाव सन् 1997 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल फ्रन्ट ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति के0 आर.0 नारायणन को अपना उम्मीदवार घोषित किया जिसे सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने स्वीकार किया। शिवसेना ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी0 एन0 शेषन को अपना उम्मीदवार बनाया। के. आर. नारायणन 91.4 प्रतिशत मत पाकर विजयी हुए। 15 जुलाई 2000 को सम्पन्न हुए बारहवें राष्ट्रपति पद के चुनाव में तत्कालीन भाजपा गठबन्धन सरकार की ओर से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाया गया। उनका सीधा मुकाबला वामदलों के उम्मदीवार डॉ0 लक्ष्मी सहगल से हुआ जिसमें डॉ0 कलाम भारी मतों से विजयी हुए और देश के व्यक्ति गणना के हिसाब से ग्यारहवें राष्ट्रपति बने।

सन् 2007 के चुनाव में यू0पी0ए0 समर्थित प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने एन0डी0ए0 समर्थित उम्मीदवार भैरों सिंह शेखावत को हराया। भारतीय संसदीय इतिहास में प्रतिभा देवी पाटिल पहली बार महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। राष्ट्रपति पद के लिए 14वाँ चुनाव 19 जुलाई 2012 को हुआ जिसमें यू0पी0ए0 के समर्थन से प्रणव मुखर्जी और एन0डी0ए0 के समर्थन से पी0 ए0 संगमा चुनाव लड़े। प्रणव मुखर्जी भारी अन्तर से विजयी हुए और राष्ट्रपति बने। सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से भाजपा केन्द्र में प्रचण्ड बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जोड़ी इसके बाद लगातार पूरे देश में सफलता प्राप्त करते हुए 2017 के उ0प्र0 विधान सभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हांसिल करने में सफल हुई। जिसके परिणाम स्वरूप 'राष्ट्रपति पद का पन्द्रहवाँ चुनाव हुआ और भाजपा/एन0डी0ए0 समर्थित उम्मीदवार उ0प्र0 निवासी श्री रामनाथ कोविंद देश के चौदहवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने यू0पी0ए0 समर्थित उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार को हराया।

4. **निष्कर्ष**– गत 67 वर्षो में हुए राष्ट्रपति चुनाव के कुल पन्द्रह चुनावों में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं–[7]

क. सन् 1969 के अतिरिक्त राष्ट्रपति पद के लिए सभी चुनाव मात्र औपचारिकता थे, क्योंकि उन सभी चुनावों में सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की विजय निश्चित थी।
ख. सन् 1957 तथा सन् 1969 में राष्ट्रपति पद के सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार का चयन प्रधानमंत्री की इच्छानुसार नहीं हुआ। शेष सभी चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री की पसन्द का ही उम्मीदवार चयनित किया गया।
ग. यद्यपि सन् 1977 में जनता पार्टी ने अपने शासन काल में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन करने की परम्परा डाली, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस दल ने पहले की तरह राष्ट्रपति पद को पूर्णतया दलीय राजनीति का विषय बनाये रखा।

संदर्भ

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद–53।
2. भारत का संविधान, अनुच्छेद–58।
3. संस्थानम् के0(1966) भारत का संविधान, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई, पृ0 48।
4. सत्रहवाँ संविधान संशोधन विधेयक–1992, प्रभावी–01 जून, 1995।
5. संविधान निर्मात्री सभा डिबेट, खण्ड–7, पृ0 834।
6. सईद, एस0 एम0(2011) 'प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति विवाद', भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भरत बुक सेंटर, लखनऊ, पृ0–199।
7. सईद, एस0 एम0(2011) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भरत बुक सेंटर, लखनऊ, पृ0 137।